No. 2(27)/10-DPE (WC) GL-XXIV/2010
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhawan
Block No.14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 03rd December, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Allowing vigilance functionaries on deputation to CPSEs the option to draw pay either in the scale of pay of the CPSE concerned or pay in the parent cadre plus deputation (duty) allowance thereon plus personal pay, if any - Cabinet decision-reg.

The undersigned is directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No. 372/21/2009-A VD-III dated 12.10.2010 on the above mentioned subject and to state that para '3' of aforesaid DoPT's O.M. dated 12.10.2010 has modified (with the approval of Cabinet) the DPE O.M. dated 26.11.2008 (Annex IV, point No. iv refers) to the extent indicated therein (DoPT O.M dated 12.10.2010).

2. In this regard a reference is invited to DPE O.M. dated 08.06.2009, which is based on the recommendations of the Anomalies Committee. In view of the position explained in para '1' above, O.M. dated 08.06.2009 is also modified to the effect as indicated in para '1' above.

3. It is clarified that in view of DPE O.M. dated 26.11.2008 read with DoPT O.M. dated 12.10.2010, effective date of above provisions in respect of CVOs and other officers on deputation to the vigilance Department of CPSEs would be 01.01.2007. However, provisions as contained in DPE O.Ms dated 26.11.2008 and 08.06.2009 will be relevant in respect of all Government Officers who come on deputation to CPSEs in posts other than CVOs and other officers on deputation to the Vigilance Department of CPSEs.

(P.J. Michael)
Under Secretary to the Government of India

All Administrative Ministries/Departments

1. Copy to :
   Chief Executives of CPSEs.

2. Copy also to :

i) Financial Advisors of the Administrative Ministries/Departments.
ii) The Comptroller & Auditor General of India (Commercial Audit Wing), 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi.
iii) Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
iv) Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi.
v) Chairman, PESB/Member(s), PESB/Secretary, PESB, CGO Complex, New Delhi.
vi) Director General SCOPE, SCOPE Complex, New Delhi.

3. Copy also to :

i) PS to Secretary (PE).
ii) PS to Secretary (BRPSE).
iii) Dir. (G), Dir.(RB), Dir.(P), Joint Advisor (RC) of DPE.
iv) NIC, DPE for uploading on to the DPE website.

(P.J. Michael)
Under Secretary to the Government of India

संख्या 2(27)/10-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जीएल XXIV/201

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003.
दिनांक: 3 दिसंबर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्त सतर्कता कार्मिकों को या तो संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के वेतनमान में या मूल संवर्ग के वेतन के साथ प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, प्राप्त करने का विकल्प देने की अनुमति देने के संबंध में मंत्रिमण्डल का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं.372/21/2009-ए वीडी-III का उल्लेख करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 12.10.2010 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा '3' के कारण लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध- iv, मद सं. iv) में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन के उल्लेखानुसार परिवर्तन (मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से) कर दिया गया है।

2. इस संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 08.06.2009 के कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो विसंगति समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है। उपर्युक्त पैरा '1' में जो स्थिति स्पष्ट की गई है उसे ध्यान में रखते हुए दिनांक 08.06.2009 के कार्यालय ज्ञापन में वही परिवर्तन कर दिया गया है जैसाकि उपर्युक्त पैरा '1' में उल्लिखित है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित लोक उद्यम विभाग के 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सतर्कता विभागों में प्रतिनियुक्त अन्य अधिकारियों के मामले में उपर्युक्त प्रावधान के लागू होने की तारीख 01.01.2007 होगी। बहरहाल, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 तथा 08.06.2009 के कार्यालय ज्ञापनों में यथावर्णित प्रावधान मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सतर्कता विभागों में प्रतिनियुक्त अन्य अधिकारियों के अलावा अन्य सभी अधिकारियों के मामले में प्रासंगिक होंगे।

(पी.जे.माइकल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

1. प्रतिलिपि प्रेषित:
   केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।

2. प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:
   i) प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार
   ii) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक(वाणिज्यिक लेखा परीक्षा स्कंध), 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
   iii) व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
   iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
   v) अध्यक्ष, पीईएसबी/सदस्य, पीईएसबी/ सचिव, पीईएसबी, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली।
   vi) महानिदेशक, स्कोप, स्कोप काम्प्लैक्स, नई दिल्ली।

3. प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:
   i) सचिव (लोक उद्यम)के निजी सचिव।
   ii) सचिव (बीआरपीएसई)के निजी सचिव।
   iii) लोक उद्यम विभाग के निदेशक(जी), निदेशक(आरबी), निदेशक(पी), संयुक्त सलाहकार(आरसी)।
   iv) एनआईसी कक्ष, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इसे लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाए।

(पी.जे.माइकल)
अवर सचिव, भारत सरकार